



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128648

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 17944 वर्ष 2026**

मोनू गौड़ उर्फ बाबा नायक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : दिनेश कुमार पांडे, कुंवर आदित्य प्रताप सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 71**

**माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह**

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना और अभिलेख देखा।
2. आज दाखिल पूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया।
3. यह ज़मानत आवेदन मुकदमा अपराध सं. 30/2026 यू.पी. गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 2(b)(i), 2(b)(xi), 3(1) के तहत थाना कैंट, ज़िला गोरखपुर में आवेदक की ज़मानत पर छोड़े जाने के लिए दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। आवेदक की ओर से यह भी कहा गया है कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध एक वाद का उल्लेख किया गया है और उस वाद में आवेदक ज़मानत पर है।

5. उन्होंने आगे कहा कि जिस एफ.आई.आर. की बात हो रही है, उसमें आवेदक पर सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और अनुचित सांसारिक, आर्थिक, भौतिक या इसी तरह के अन्य लाभ उठाने के आरोप अस्पष्ट हैं। साथ ही, यह भी कहा गया कि आरोपी के किसी ऐसे काम या चूक के आरोप के बिना, जो अधिनियम की धारा 2 में दी गई "गैंग" और "गैंगस्टर" की परिभाषा के दायरे में आता हो, कोई एफ.आई.आर. नहीं की जा सकती। इस वाद में, एफ.आई.आर. लंबित आपराधिक वादों पर आधारित है, न कि किसी नए आरोप या ऐसे तथ्य की खोज पर जिसका समाज पर गंभीर असर पड़ा हो, जिसके लिए यह अधिनियम बनाया गया था।

6. उन्होंने यह भी कहा कि इस विधि के प्रावधानों का इस्तेमाल नागरिकों से बदला लेने, उन्हें परेशान करने या डराने-धमकाने, या राजनीतिक या अन्य मोर्चों पर हिसाब-किताब बराबर करने के हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता।

7. उन्होंने कहा कि इस वाद में ऐसा लगता है कि ज़िला प्रशासन ने अच्छा काम दिखाने, तारीफ़ पाने या सरकार या सत्ताधारी पार्टी के उच्च अधिकारियों से सराहना हासिल करने के लिए इस विधि के प्रावधानों को लागू किया है, जो कि अनुचित है।

8. उन्होंने यह भी कहा कि उपरोक्त उल्लिखित वाद के तथ्यों को देखते हुए, यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक 'गैंगस्टर्स' अधिनियम के तहत अपराध का दोषी नहीं है और ज़मानत पर रहने के दौरान वह कोई अपराध नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ज़मानत पर रहने के दौरान आवेदक न तो कोई अपराध करेगा और न ही किसी भी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा।

9. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक इस मामले में 6.11.2025 से जेल में बंद है और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि अगर उसे ज़मानत दी जाती है, तो वह विधि की प्रक्रिया से भाग जाएगा या विचारण न्यायालय के सामने पेश नहीं होगा; साथ ही, अभिलेख पर मौजूद

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सबूत/सामग्री इतनी मज़बूत नहीं है कि यह माना जा सके कि आवेदक गैंग चार्ट में बताए गए अपराधों का दोषी है।

10. इन परिस्थिति में, आवेदक ज़मानत पाने का अधिकारी है। ज़मानत पर छोड़े जाने के लिए, वह ज़मानत की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

11. विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत देने की आवेदन का विरोध किया, लेकिन निष्पक्ष रूप से यह माना कि गैंग चार्ट में बताए गए मामलों में आवेदक ज़मानत पर है। हालाँकि, उन्होंने आगे कहा कि आवेदक एक गैंग का सदस्य है और अपराध करने का आदी है। अगर आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से ऐसी ही असामाजिक गतिविधियों में शामिल होगा और अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी और डरा-धमकाकर ज़मानत का गलत इस्तेमाल करेगा।

12. यू.पी. की धारा 19(4) गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 में इस प्रकार लिखा है:-

*"(4) संहिता में दी गई किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम या इसके तहत बने किसी नियम के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को, यदि वह हिरासत में है, तब तक ज़मानत या अपने निजी बंधपत्र पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि--*

*(क) शासकीय अधिवक्ता को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का मौका न दिया गया हो, और*

*(ख) जहां शासकीय अधिवक्ता आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और ज़मानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"*

13. यू.पी. गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के मददेनजर, मैंने अभिलेख पर उपलब्ध सबूतों, गैंग-चार्ट में बताए गए अपराध की प्रकृति और आरोपी-आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14. **यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम के. ए. नजीब, (2021) 3 एस.सी.सी. 713** मामले में, कई फैसलों में यह माना गया कि संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के सुरक्षा दायरे में न केवल उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता शामिल होगी, बल्कि न्याय तक पहुंच और त्वरित सुनवाई भी शामिल होगी। सर्वोच्च न्यायालय **लीगल एड कमेटी रिप्रेजेंटिंग अंडरविचारण प्रिजनर्स बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया** मामले में यह तय किया गया था कि विचारण पूरा होने तक विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। आदर्श रूप से, किसी व्यक्ति को अपने कामों के बुरे नतीजों का सामना तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि किसी निष्पक्ष मध्यस्थ के सामने वे साबित न हो जाएं। हालाँकि, असल ज़िंदगी की व्यावहारिकताओं को देखते हुए - जहाँ एक प्रभावी विचारण सुनिश्चित करना और विचारण के दौरान किसी संभावित अपराधी के खुले घूमने से समाज को होने वाले जोखिम को कम करना ज़रूरी है - न्यायालय को यह तय करने का काम सौंपा जाता है कि किसी व्यक्ति को विचारण के दौरान रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि समय पर विचारण संभव नहीं होगा और आरोपी ने काफी समय तक जेल की सज़ा काट ली है, तो न्यायालय आमतौर पर उन्हें ज़मानत पर रिहा करने के लिए बाध्य होती हैं।

15. उक्त पक्षों के तर्कों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों - जैसे कि **दताराम सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य (2018) 3 एस.सी.सी. 22** और **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई और अन्य (एस.एल.पी.(क्रि.) सं. 5191 of 2021)** - पर विचार करने के बाद, और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, ज़मानत आवेदन स्वीकृत की जाती है।

16. उक्त अपराध में शामिल **आवेदक - मोनू गौड़ उर्फ़ बाबा नायक** - को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू प्रत्येक पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि:

(i) आवेदक यह लिखित वचन देगा कि जब गवाह अदालत में मौजूद हों, तो वह सबूत के लिए तय तारीख पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो विचारण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



न्यायालय इसे ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मान सकता है और विधि के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के सामने तय हर तारीख पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहने पर, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ़ आईपीसी की धारा 229-ए/बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है। (iii) अगर आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करता है और उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए सी.आर.पी.सी. की धारा 82/बी.एन.एस.एस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ़ विधि के अनुसार आईपीसी की धारा 174-ए/बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को इन तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने खुद पेश होना होगा: (1) वाद शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर और (3) सी.आर.पी.सी. की धारा 313/बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को प्रतीत होता है कि आवेदक की अनुपस्थिति साशय या बिना किसी ठोस वजह के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और उसके खिलाफ़ विधि के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

17. उपरोक्त वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत निरस्त करने का आधार बन सकता है।

18. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियाँ, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में संबंधित विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

23 जून, 2026

ललित शुक्ला

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”